KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

ID No. :-	**16082017003**	Block/Sector	**-----/N/A**
Plot/House	**A.NO-1030, 1048PART/-----**	Scheme	**-----**
Permit Date	**03-10-2018**	Application Date	**16-08-2017**
Permit No.	**419/BHAV/17-18**		
Area(Place)	**RAWAT PUR**		
Land Usage	**Group Housing**		
Applicant's Name	**INDREASH DEVLOPERS LTD THROUGH DIR MR RAKESH MISHRA AND OTHERS**		
Present Address	**H.NO-7/207(1), SWAROOP NAGAR KANPUR**		

Sanction vide order dated : **10-05-2018 V.C.** build grandted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

03/10/18

ज्योति प्रसाद
नगर नियोजक
का०वि०प्रा०

Authorised Signatory

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

Scanned by CamScanner

अनुज्ञा की शर्तें:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्षे में दर्षा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसें निर्माण कार्यो के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहॉ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. वाटर हार्वेस्टिग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा।
9. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा जारी गाईड लाईन–2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निमार्ण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सडक पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
10. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा समय–समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है तो आवेदक को देय होगी।
12. वाद–विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
13. उ0प्र0 एपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के प्राविधानों में भाग 4(5) का अनुपालन करना होगा तथा अपार्टमेन्ट एक्ट में प्राविधानित प्रारूपों पर समस्त विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
14. अनुमन्य माइकोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
15. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
16. प्रस्तावित समूह आवास भवन मानचित्र भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
17. माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने की दशा में माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वथा मान्य होगा।
18. स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुए एक बोर्ड लगाना होगा।
19. भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
20. पार्किंग वाले भाग पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
21. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
22. शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र का प्राविधान करना होगा।
23. समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार आवश्यक वृक्ष एवं लैण्ड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।
24. पक्ष द्वारा विद्युत संयोजन, राज्य विद्युत परिषद से अपने व्यय पर लेना होगा।
25. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य कराने की समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आवेदक की होगी।
26. विभिन्न समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
27. भवन परिसर में अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन उपविधि में अपेक्षित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
28. स्ट्रक्चरल डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
29. संरचना के भूकम्प के प्रति सुरक्षित होने सम्बन्धी किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण–पत्र तथा विस्तृत स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रस्तुत करनी होगी।
30. प्रस्तावित समूह आवास भवन के रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।
31. अग्निशमन विभाग व अन्य समस्त विभागों की अनापत्ति आख्याओं में अंकित शर्तों का पालन करना होगा।
32. मानचित्र की स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुक्रिया कदापि अनुमन्य नही होगी।
33. समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना होगा।
34. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रस्तावित संशोधित समूह आवास मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

ज्योति प्रसाद
Authorised Signatory
नगर नियोजक
का०वि०प्रा०

Scanned by CamScanner